संख्या- /63-व0उ0-2010-45(एच)/2000

प्रेषक,

डा0 जे0 एन0 चैम्बर
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0,
कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2010

विषयः- उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर की निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों के विक्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3884/नजारत/2009-10 दिनांक 01 फरवरी 2010 का कृपया सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 की संजय बाजार, जयपुर तथा नारायणा विहार, नई दिल्ली की सम्पत्ति को निदेशक मण्डल की 140वीं बैठक दिनांक 22.01.2010 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सन्दर्भ में दिनांक 02 जून 2010 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्यक विचारोपरान्त अधिकतम निविदा मूल्य पर उक्त दोनो सम्पत्तियों के विक्रय पर मत स्थिर हुआ।

3- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय बाजार, जयपुर की सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्री अशोक पहलाजानी द्वारा डाली गयी अधिकतम निविदा रू082,25,200.00 (रूपया बयासी लाख, पच्चीस हजार, दो सौ मात्र) तथा नारायणा विहार, नई दिल्ली की सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्री अनिल धींगरा द्वारा डाली गयी अधिकतम निविदा रू01,12,25,555.00 (रूपया एक करोड़, बारह लाख, पच्चीस हजार, पॉच सौ पचपन मात्र) के मूल्य में विक्रय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(डा0 जे0एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 994 (1)/63-व0उ0-2010,तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव को प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन के सूचनार्थ।
4- निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव।